न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— नीलम लखारा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 33/2018 (2018/00112)

तारीख दायरा—30.05.2018

तारीख निर्णय—01.02.2021

1. श्रीमती चन्दा कुवंर पत्नी खुमसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी कुरडाऊ (मजावद) तहसील गोगुन्दा।
2. सुश्री मनिषा पुत्री खुमसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी कुरडाऊ (मजावद) तहसील गोगुन्दा।
3. सुश्री नीमा पुत्री खुमसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी कुरडाऊ (मजावद) तहसील गोगुन्दा।
4. श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र खुमसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी कुरडाऊ (मजावद) तहसील गोगुन्दा।
5. सुश्री खुशी पुत्री खुमसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी कुरडाऊ (मजावद) तहसील गोगुन्दा।

........वादी

बनाम

1. श्री खुमसिह पिता सरदार सिंह राजपुत उम्र वयस्क निवासी कुरडाऊ (मजावद) तहसील गोगुन्दा।
2. श्रीमती केशीबाई पत्नी सरदार सिंह राजपुत उम्र वयस्क निवासी कुरडाऊ (मजावद) तहसील गोगुन्दा।
3. राज्य जरिये तहसीलदार गोगुन्दा, जिला उदयपुर।

............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 आर.टी. एक्ट

उपस्थित— वादी की ओर से— श्री महेन्द्र कुमार पालीवाल

प्रतिवादी की ओर से— एक तरफा

निर्णय

वादीया की ओर प्रस्तुत वाद का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि मौजा कुरडाऊ पटवार हल्का मजावद तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत् 2072 से 75 के खाता संख्या 28 में वर्णित कुल आराजीयात किता 5 रकबा 1.3950 है0 भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीया का पति है एवं प्रवितादी संख्या 2 जो वादीया की सास है। वादीया एवं प्रतिवादीगण एक [illegible] के सदस्य है। वादग्रस्त भूमि के मुल खातेदार श्री सरदार सिंह [illegible] पर वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम नामान्तकरण से आयी [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा निहित हैं। रा[illegible] रेकर्ड प्रतिवादीगण के [illegible] होने से एवं प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीया का पति है जो चुस्त एवं चालाक व्यक्ति है जो जबरन वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने पर आमादा हैं। वादग्रस्त भूमि पुस्तैनी होने से वादीया का भी उक्त भूमि पर समान हक है एवं वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 की चार संताने क्रमश वादी

Neelam

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला—उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 16:05:43 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 2 से 5 है अगर प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि को विक्रय कर देते है तो वादीया को अपुर्णिय क्षति होगी वह अपना व अपने बच्चों का जिवन यापन नहीं कर पायेगी। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीया को भी अपने बनने वाले हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावें।

इस प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये, प्रतिवादीगण द्वारा सम्मन लेने से इन्कार कर दिया जिस पर प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। वादीया ने अपने साक्ष्य में शपथ पत्र प्रस्तुत कर बयान दर्ज करवाये। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। अतः अपनी बहस के अन्त में वादीगण का वाद माफिक प्रार्थना स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। मौजा कुरडाऊ पटवार हल्का मजावद तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत् 2072 से 75 के खाता संख्या 28 में वर्णित कुल आराजीयात किता 5 रकबा 1.3950 है0 भूमि मौरूषी सम्पत्ती हो कर प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के रेकर्ड के खातेदार होने से वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने पर आमादा है जिसमें वादीया का भी हक एवं हिस्सा निहित है क्योंकी वादीया एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादीगण चालाक होने से वादीया को अपने हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा कुरडाऊ पटवार हल्का मजावद तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत् 2072 से 75 के खाता संख्या 28 में वर्णित कुल आराजीयात किता 5 रकबा 1.3950 है0 भूमि में खुमसिंह पिता सरदार सिंह, मु0 केशीबाई पत्नी स्व0 सरदारसिंह के बजाय श्रीमती चन्दा कुंवर पत्नी खुमसिंह राजपुत, खुमसिंह पिता सरदार सिंह, मु0 केशीबाई पत्नी स्व0 सरदारसिंह को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता हैं। एतद्नुसार डिकी पर्चा जारी किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु निर्णय एवं डिकी की प्रति भेजी जाकर तहसीलदार गोगुन्दा को लिखा जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 01.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Neelam

(नीलम लखारा)

उपखण्ड अधिकारी

गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 16:05:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

वाद डिकी

पीठासीन अधिकारीः– नीलम लखारा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 33/2018 दिनांकः–01.02.2021

1. श्रीमती चन्दा कुवंर पत्नी खुमसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी कुरडाऊ (मजावद) तहसील गोगुन्दा।
2. सुश्री मनिषा पुत्री खुमसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी कुरडाऊ (मजावद) तहसील गोगुन्दा।
3. सुश्री नीमा पुत्री खुमसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी कुरडाऊ (मजावद) तहसील गोगुन्दा।
4. श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र खुमसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी कुरडाऊ (मजावद) तहसील गोगुन्दा।
5. सुश्री खुशी पुत्री खुमसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी कुरडाऊ (मजावद) तहसील गोगुन्दा।

........वादी

बनाम

1. श्री खुमसिह पिता सरदार सिंह राजपुत उम्र वयस्क निवासी कुरडाऊ (मजावद) तहसील गोगुन्दा।
2. श्रीमती केशीबाई पत्नी सरदार सिंह राजपुत उम्र वयस्क निवासी कुरडाऊ (मजावद) तहसील गोगुन्दा।
3. राज्य जरिये तहसीलदार गोगुन्दा, जिला उदयपुर।

............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री महेन्द्र कुमार पालीवाल

प्रतिवादी की ओर से– एक तरफा

पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक 01.02.2021 को प्रस्तुत होने पर वादीगण का वाद बहक वादी डिक्री किया जाता है मौजा कुरडाऊ पटवार हल्का मजावद तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत् 2072 से 75 के खाता संख्या 28 में वर्णित कुल आराजीयात किता 5 रकबा 1.3950 है0 भूमि में खुमसिंह पिता सरदार सिंह, मु0 केशीबाई पत्नी स्व0 सरदारसिंह के बजाय श्रीमती चन्दा कुंवर पत्नी खुमसिंह राजपुत, खुमसिंह पिता सरदार सिंह, मु0 केशीबाई पत्नी स्व0 सरदारसिंह को [illegible] काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 16:05:43 IST
Reason: SelfAttested

(नीलम लखारा)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला-उदयपुर (राज.)